



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224249
CG-DL-E-06012021-224249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2021/ पौष 16, 1942

No. 03]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2021/PAUSHA 16, 1942

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2021

भारतीय उपचर्या परिषद् [जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम से बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर उन्नयन करने हेतु दिशानिर्देश एवं मानक] विनियम, 2020.

फा.सं. 1-5/एसईएल/2019-आईएनसी.—यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48वां) की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नांकित विनियम बनाती है:—

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन:—

- ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् [जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम से बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर उन्नयन करने हेतु दिशानिर्देश एवं मानक] विनियम, 2020 कहलाएंगे।
- ये विनियम भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. व्याख्या.—इन विनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो :—

- 'अधिनियम' का आशय समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48वां) से है;
- 'परिषद्' का आशय 1947 के अधिनियम के तहत गठित भारतीय उपचर्या परिषद् से है;
- 'एसएनआरसी' का आशय राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषद् से है, चाहे उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किसी भी नाम से गठित किया गया हो अथवा संबोधित किया जाता हो;
- 'जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम)' का आशय अधिनियम की धारा 10 के तहत परिषद् द्वारा स्वीकृत एवं अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में सम्मिलित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) अर्हता में डिप्लोमा से है;

- v) 'बी.एससी. (नर्सिंग)' का आशय अधिनियम की धारा 10 के तहत परिषद् द्वारा स्वीकृत एवं अधिनियम की अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित नर्सिंग में 4-वर्षीय बी.एससी. (नर्सिंग) अर्हता की उपाधि से है;
- vi) 'प्राधिकरण' का आशय किसी अधिनियम के तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से है, जो बी.एससी. (नर्सिंग) अर्हता की उपाधि प्रदान करने हेतु परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो और अधिनियम की अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित हो;
- vii) 'स्कूल ऑफ नर्सिंग' का आशय जीएनएम पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त एक प्रशिक्षण संस्थान से है;
- viii) 'कॉलेज' का आशय बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण एवं अध्यापन हेतु मान्यता प्राप्त एक प्रशिक्षण संस्थान से है;
- ix) 'एनयूआईडी' का आशय नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) के तहत प्रत्येक पंजीकृत नर्स को प्रदान किए गए नर्सिंग यूनिट आइडेंटिटी नंबर से है।
3. **नर्सिंग स्कूलों का उन्नयन:**—जीएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले एसएनआरसी मान्यता प्राप्त और अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के तहत परिषद् द्वारा उपयुक्त पाए गए सभी नर्सिंग स्कूल बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन के लिए पात्र होंगे।
4. **नर्सिंग स्कूलों का नर्सिंग कॉलेज के रूप में उन्नयन के लिए परिषद् को आवेदन:**—
- i) जीएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले एसएनआरसी मान्यता प्राप्त और अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के तहत परिषद् द्वारा उपयुक्त पाए गए सभी नर्सिंग स्कूल बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन के लिए पात्र होंगे। परिषद्, नर्सिंग स्कूल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन दस्तावेजों के आंकलन के बाद, अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के तहत नर्सिंग स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन करने के लिए उपयुक्तता प्रदान करेगी, बशर्ते अपेक्षित मानदंड पूरे हों। परिषद् उन्नयन प्राप्त ऐसे संस्थानों का 3 वर्ष के अंदर निरीक्षण भी करेगी।
- ii) नर्सिंग स्कूल, जो शैक्षणिक वर्ष के दौरान उपरोक्त अनुच्छेद 4(i) के अनुसार उन्नयन के लिए आवेदन करते हैं और परिषद् द्वारा उपयुक्तता प्रदान की जाती है, छात्रों को केवल बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में ही प्रवेश देंगे और जीएनएम पाठ्यक्रम को बंद कर देंगे अर्थात् बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त पाए जाने वर्ष से जीएनएम पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।
5. **उन्नयन के लिए मानदंड:**—
- i) उपरोक्त अनुच्छेद 4(i) के तहत पात्र नर्सिंग स्कूलों को राज्य सरकार से नए राज्य सरकारी आदेश/अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनिवार्यता प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ii) नर्सिंग स्कूल से बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन के लिए संबंधित एसएनआरसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- iii) फिर भी बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।
- iv) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नए राज्य सरकारी आदेश या इस तरह की अन्य आवश्यकताओं पर जोर दिए बिना संबद्धता प्रदान करनी होगी क्योंकि उन्नयन प्राप्त संस्थान पहले से ही अपनी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है और परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के तहत उपयुक्त पाया गया है।
6. **उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों की प्रवेश क्षमता:**—
- i) बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज की प्रवेश क्षमता जीएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले नर्सिंग स्कूल की पूर्व प्रवेश क्षमता के समान होगी।
- ii) पहले से ही जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग) दोनों पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के संबंध में, अब उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज की प्रवेश क्षमता जीएनएम पाठ्यक्रम की पूर्व प्रवेश क्षमता तथा बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम की वर्तमान प्रवेश क्षमता के योग के बराबर होगी।
- यह नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत है: —
- यदि संस्थान 50 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ केवल जीएनएम पाठ्यक्रम [अर्थात् बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम नहीं] संचालित कर रहा है, तो बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की प्रवेश क्षमता भी 50 ही होगी।
 - यदि संस्था जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम दोनों 50 जीएनएम और 50 बी.एससी. (नर्सिंग) प्रवेश क्षमता के साथ संचालित कर रहा है, तो उन्नयित बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की प्रवेश क्षमता 100 होगी।
7. **मूलभूत सुविधाएं:**—उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक अतिरिक्त अध्ययन कक्ष मुहैया कराना होगा।
8. **क्लिनिकल सुविधाएं:**—उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज के लिए किसी अन्य अतिरिक्त नैदानिक सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। [यदि संस्थान में पहले से ही जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम दोनों संचालित किए जा रहे हैं, तो कुल वृद्धि

के बाद हुई कुल सीटों की संख्या के लिए 1 : 10 के अनुपात में शैय्या वाले मूल अस्पताल होने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जाएगा।] हालांकि, ऐसा केवल एक-बार के लिए ही लागू होगा।

9. शिक्षकीय सुविधाएं:—

- जैसे ही वर्तमान छात्र जीएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेंगे, पूर्व नर्सिंग स्कूल के वर्तमान नर्सिंग शिक्षकों को उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज में चरणबद्ध तरीके से नियोजित कर लिया जाएगा।
- पूर्व नर्सिंग स्कूल में पहले से ही कार्यरत एम.एससी. (नर्सिंग) संकाय के संबंध में, शिक्षण के कुल वर्षों के अनुभव को केवल इस शर्त के साथ उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज में संकाय पदों के लिए माना जाएगा कि सभी संकाय सदस्यों के पास एनआरटीएस के तहत एनयूआईडी नंबर होना चाहिए।

उन्नयन के दौरान आवश्यक एम.एससी. (नर्सिंग) अर्हता प्राप्त संकाय की संख्या:

बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम	छात्रों की संख्या	एम.एससी. (नर्सिंग) अर्हता प्राप्त संकाय (वर्तमान शिक्षकों की संख्या)
प्रथम वर्ष	40—60	2
द्वितीय वर्ष	40—60	4
तृतीय वर्ष	40—60	6
चतुर्थ वर्ष	40—60	7

उपरोक्त व्यवस्था केवल जीएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले संस्थानों और नर्सिंग स्कूलों के वर्तमान संकाय के संबंध में है और नई नियुक्ति के संबंध में या पहले से ही बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले संस्थानों के संबंध में लागू नहीं होगी। यह छूट उन्नयन प्राप्त संस्थानों के बी.एससी. (नर्सिंग) छात्रों के प्रथम बैच के उत्तीर्ण होने तक लागू होगी।

- शिक्षकेतर कर्मचारी:—**शिक्षकेतर कर्मचारियों को उन्नयन प्राप्त नर्सिंग कॉलेज में योग्यतानुसार नियोजित किया जा सकता है।

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 439 / 2020—21]

INDIAN NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2021

Indian Nursing Council {Guidelines/Norms for upgradation of the General Nursing and Midwifery (GNM) course to B.Sc. (Nursing) course on Voluntary basis} Regulations, 2020.

F.No.1-5/SEL/2019-INC—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), as amended from time to time, the Indian Nursing Council hereby makes the following Regulations, namely:—

1. Short Title and Commencement:—

- These Regulations may be called the **Indian Nursing Council {Guidelines/Norms for upgradation of the General Nursing and Midwifery (GNM) course to B.Sc. (Nursing) course on Voluntary basis} Regulations, 2020.**
- These Regulations shall come into force from the date of notification in the Official Gazette of India.

2. Definitions:—In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- ‘the Act’ means the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) as amended from time to time;
- ‘the Council’ means the Indian Nursing Council constituted under the Act of 1947;
- ‘SNRC’ means the State Nurses and Midwives Registration Council by whichever name constituted and called by the respective State Governments;
- ‘General Nursing and Midwifery (GNM)’ means the Diploma in General Nursing & Midwifery qualification recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-I of the Schedule to the Act;

- v) 'B.Sc. (Nursing)' means the four year B.Sc. (Nursing) Degree qualification in Nursing recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-II of the Schedule to the Act;
- vi) 'Authority' means a University or Body created by an Act for awarding the B.Sc. (Nursing) qualification recognized by the Council and included in Part-II of the Schedule to the Act;
- vii) 'School of Nursing' means a recognized training institution for the purpose of teaching of the GNM course;
- viii) 'College' means a recognized training institution for the purpose of training and teaching of the B.Sc. (Nursing) course;
- ix) 'NUID' means Nurses Unique Identity Number provided to each Registered Nurse under Nurse Registration and Tracking System (NRTS).

3. Upgradation of Schools of Nursing:—All SNRC recognized Schools of Nursing running GNM course and found suitable by the Council under Sections 13 and 14 of the Act are eligible to upgrade themselves to College of Nursing offering B.Sc. (Nursing) course.

4. Application to the Council for upgradation of School of Nursing to College of Nursing:—

- i) All SNRC recognized Schools of Nursing running GNM course and found suitable by the Council under Sections 13 and 14 of the Act are eligible to apply online for upgradation of the School to College of Nursing offering B.Sc. (Nursing) course. The Council, after assessment of the online documents submitted by the School of Nursing, shall give suitability for upgrading the School of Nursing to College of Nursing, under Sections 13 and 14 of the Act, provided the requisite criteria is fulfilled. The Council shall also conduct inspection of such upgraded institutions within 3 years of upgradation.
- ii) The Schools of Nursing which are applying for upgradation in accordance with the para 4(i) above during the academic year and accorded suitability by the Council, shall admit students only for the B.Sc. (Nursing) course and shall close the GNM course i.e. not admit students for the GNM course from the year found suitable for the B.Sc. (Nursing) course.

5. Norms for upgradation:—

- i) Schools of Nursing eligible under the para 4(i) above would not be required to obtain fresh State Government Order/No Objection Certificate/Essentiality Certificate from the concerned State Government.
- ii) Permission of the concerned SNRC is mandatory for upgradation from School of Nursing to College of Nursing to conduct the B.Sc. (Nursing) course.
- iii) The upgraded College of Nursing conducting the B.Sc. (Nursing) course however shall be required to get affiliation from the concerned University.
- iv) The concerned University shall grant affiliation without insisting on a fresh State Government Order or such other requirements since the upgraded institution already stands recognized by the respective State Govt. and is found suitable by the Council under the Sections 13 and 14 of the Act.

6. Intake capacity of upgraded Nursing Colleges:—

- i) The intake capacity of the upgraded College of Nursing for B.Sc. (Nursing) course would be the same as the earlier intake capacity of the School of Nursing conducting GNM course.
- ii) In respect of recognized teaching institutions which earlier were conducting both the GNM and B.Sc. (Nursing) courses, the intake capacity of the now upgraded College of Nursing for conducting the B.Sc. (Nursing) course would be the earlier intake capacity of GNM course plus the existing intake capacity of the B.Sc. (Nursing) course.

This is further elaborated through examples given below:—

- If the institution is running the GNM as a Standalone course {i.e. does not have B.Sc. (Nursing) course} with the admission capacity of 50 students, then admission capacity for B.Sc. (Nursing) course will also be 50 students.
- If the institution runs the GNM and B.Sc. (Nursing) both with 50 GNM and 50 B.Sc. (Nursing) admission capacity, then the admission capacity for the upgraded B.Sc. (Nursing) course will be 100 students.

7. Infrastructure Facilities:—Upgraded College of Nursing would be required to provide one additional classroom for the degree course as per the Council norms.

8. Clinical Facilities:—No additional clinical facilities are required for upgraded College of Nursing. {In the instances where the institution is already having the GNM and B.Sc. (Nursing) courses then for the increased

number of total seats, the requirement of having parent hospital with beds in the ratio of 1 : 10 will not be insisted.) However, it shall be a onetime measure.

9. Teaching Facilities:—

- i) The existing Nursing faculty of the earlier School of Nursing shall be absorbed in a phased manner into the upgraded College of Nursing as and when the existing students pass out of the GNM course.
- ii) In respect of the M.Sc. (Nursing) faculty already in position in the earlier School of Nursing, the total years of teaching experience put in shall be considered for faculty positions in upgraded College of Nursing with the only stipulation that all faculty members should have the NUID number under NRTS.

Number of M.Sc. (Nursing) qualified faculty required during upgradation:

B.Sc. (Nursing) Course	No. of Students	No. of M.Sc. (Nursing) qualified Faculty (Existing Teachers)
I st year	40-60	2
II nd year	40-60	4
III rd year	40-60	6
IV th year	40-60	7

These stipulations are in the case of standalone institutes of the GNM course and for existing faculty in the School of Nursing only. It shall not be applicable for new appointment or for institute already having the B.Sc. (Nursing) course. These relaxations are applicable till passing out of 1st batch of the B.Sc. (Nursing) students from upgraded institutes.

10. Non-Teaching Staff:—The Non-Teaching staff may be suitably absorbed into the upgraded College of Nursing.

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./439/2020-21]